भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1284
सोमवार, 11 दिसंबर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक)

रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास पर श्रम सुधारों का प्रभाव

1284. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाल ही में पारित श्रम सुधारों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और देश में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है;
(ख) सरकार द्वारा विशेषकर कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के समक्ष आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;
(ग) क्या प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के अंतर्गत नई नौकरियों का सृजन हुआ है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): सरकार ने चार श्रम संहिताएं बनाई हैं, जिनके नाम हैं- वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 तथा सामान्य जानकारी के लिए इन संहिताओं को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया है। चार श्रम संहिताएं वैधानिक न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कामगारों की स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में कामगारों को उपलब्ध सुरक्षा को मजबूत करती हैं जिसमें असंगठित कामगार भी शामिल हैं। इसके अलावा, संहिताएं अनुपालन तंत्र को भी आसान बनाती हैं, जिसका लक्ष्य व्यवसाय करने/उद्यमों की स्थापना को आसान बनाने को प्रोत्साहन देना और प्रत्येक कामगार की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रोजगार के अवसरों के सृजन को बढाना है। चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम के रूप में, केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा भी नियम बनाए जाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार और कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने सभी हितधारकों की टिप्पणियों को आमंत्रित करते हुए 4 श्रम संहिताओं के तहत मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश भर में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

ढांचागत और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष, 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में की गई यह पर्याप्त वृद्धि, सरकार के प्रयासों का केंद्र बिन्दु है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी।

सरकार, दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके।

सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।

सरकार द्वारा, स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार द्वारा, वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन पीएलआई योजनाओं से 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें, रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), "राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)" का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें सरकार प्रशिक्षुओं को देय वजीफे के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है।

सरकार, ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

नए रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 01.04.2016 को प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) को आरंभ किया गया था। योजना के तहत प्रतिष्ठानों के माध्यम से लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2019 थी। इस योजना के तहत 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को पंजीकरण की तिथि से तीन वर्षों अर्थात् 31 मार्च, 2022 तक लगातार लाभ मिलता रहा। इस योजना के तहत, 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

*****